



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में एम०एड० (द्वि-वर्षीय) पाठ्यक्रम में सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसिलिंग कार्यक्रम

क्रम सं०	दिनांक	वर्ग	कुल प्राप्तांक	समय
01.	04.10.2019	विकलांग — सभी वर्ग	89.75 से 31.00 तक	प्रातः 10.00 बजे
02.	04.10.2019	अन्य राज्य वर्ग	89.75 से 31.00 तक	प्रातः 10.00 बजे
03.	04.10.2019	सभी वर्ग	89.75 से 72.00 तक	प्रातः 10.00 बजे
04.	05.10.2019	सभी वर्ग	71.75 से 31.00 तक	प्रातः 10.00 बजे

ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनका स्कोर उपरोक्त कार्यक्रमानुसार है, उक्त तिथि एवं समय को मेरिट स्कोर के आधार पर काउंसिलिंग हेतु बृहस्पति भवन समागार, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में एम.एड. पाठ्यक्रम में सीट आवंटन हेतु उपस्थित हों। समस्त वर्गों के अभ्यर्थी अपने साथ रु० 700/- का एक बैंक ड्राफ्ट (छवद त्मनिदकइरम ब्यनदेमसपदह धम), एवं रु० 5000/- (पाँच हजार मात्र) का एक बैंक ड्राफ्ट (महाविद्यालय/संस्थान के शुल्क की आंशिक राशि) जो वित्त अधिकारी, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के नाम देय हो तथा निम्न प्रपत्रों को मूल रूप में एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति का एक सैट लेकर निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हों।

- नवीनतम पासपोर्ट साईज के 5 फोटोग्राफ,
- एम.एड. प्रवेश परीक्षा 2019-21 का अंकपत्र,
- एम०एड० प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र,
- समस्त शैक्षणिक अभिलेख,
- जाति प्रमाण-पत्र (कम्प्यूटराईज्ड हो तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो तथा उसमें क्रीमिलेयर का स्पष्ट उल्लेख हो),
- विवाहित महिला अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र, उनके पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा।
- मूल निवास प्रमाण पत्र (कम्प्यूटराईज्ड),
- विकलांगता का प्रमाण पत्र (जैसा कि ब्रोशर में अंकित है एवं जो आप पर लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र (कम्प्यूटराईज्ड) (केवल एस.सी./एस.टी. वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए), तथा
- कुलसचिव, चौ. च.सि. वि.वि. मेरठ को सम्बोधित रु० 10 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटरी कराकर जिसमें निम्न बातें अंकित हों, सभी अभ्यर्थियों को साथ लेकर आना अनिवार्य है—
 - ❖ शैक्षणिक काल के दौरान यदि कोई समय अन्तराल है, तो उसका कारण।
 - ❖ वर्तमान में कहीं भी सेवारत न होने का। (सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान)
 - ❖ वर्तमान में किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण में सम्मिलित न होने (जैसे विशिष्ट बी.टी.सी., डी.एल.एड., बी०एल०एड०, एवं अन्य डिग्री/डिप्लोमा कोर्स आदि)
 - ❖ समान सत्र में अन्य किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत न होने का।

यदि कोई अभ्यर्थी उक्त तिथि समय एवं स्थान पर अनुपस्थित रहता है, तो उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा योग्यता सूची में से उससे नीचे की वरीयता क्रम वाले अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा एवं भविष्य में अभ्यर्थी का उक्त तिथि की मेरिट सूचकांक का प्रवेश संबंधी कोई अधिकार मान्य नहीं होगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। अभ्यर्थी केवल Total Score के अनुसार निर्धारित तिथि को ही उपस्थित हो।

काउंसिलिंग के माध्यम से महाविद्यालय आवंटित होने के उपरान्त या महाविद्यालय में प्रवेश लेने के उपरान्त किसी भी दशा में कोई स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा और न ही पुनः काउंसिलिंग के द्वारा अन्य महाविद्यालय आवंटित किया जायेगा एवं न ही काउंसिलिंग शुल्क एवं महाविद्यालय/संस्थान के शुल्क की आंशिक राशि किसी भी दशा में वापिस होगी।

सीटों का आवंटन अभ्यर्थियों की मेरिट एवं सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उपरोक्त प्राप्तांकों की सीमा में आना सीट आवंटन की गारंटी नहीं है।

विशेष : जिन छात्र/छात्राओं ने एम०एड० सत्र 2019-21 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा दी थी तथा केवल एम०एड० विश्वविद्यालय परिसर के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया था लेकिन उनका प्रवेश विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एम०एड० पाठ्यक्रम में नहीं हुआ था, ऐसे छात्र/छात्राएँ महाविद्यालयों/संस्थानों के एम०एड० पाठ्यक्रम सत्र 2019-21 में यदि प्रवेश हेतु इच्छुक हो तो वे अभ्यर्थी उपरोक्त काउंसिलिंग में अपने प्रवेश सूचकांक के अनुसार निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हों।